

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,  
व इजलास ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 205/2022

दीगण-  
1. डालुराम पुत्र भैराराम , उम्र 28 वर्ष जाति बावरी, निवासी-बुगरड़ा, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. छोटी देवी पत्नी भैराराम
2. कैलाश उर्फ केलकी पुत्री भैराराम पत्नी हराराम  
उम्र 28 वर्ष जाति बावरी, निवासी-बुगरड़ा, तहसील-जायल।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रतिवादीगण :-


1. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादी की ओर से
2. श्री दशरथसिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88 घोषणा खातेदारी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं  
शुद्धि नाम अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

- :: डिक्री आदेश :: - दि 26/12/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़  
अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री दशरथसिंह राठौड़  
अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम  
दिया जाता है कि - यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा बुगरड़ा तहसील जायल में  
खेत खसरा नं. 37/705 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नंबर 666 रकबा 1.4973 हैक्टेयर  
कुल 2 खसरे कुल रकबा 2.3067 हैक्टेयर भूमि में वादी डालुराम को प्रतिवादी संख्या 1 छोटी  
देवी प्रतिवादी संख्या 2 केलास उर्फ केलकी देवी के साथ मुताबिक वाद पत्र ईकबालिया  
जवाब, साक्ष्य शपथ पत्र, वादी वाद पत्र व सहमति से संयुक्त खातेदार घोषित किया जाकर  
निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

यह है कि वादी डालुराम को मौजा बुगरड़ा तहसील जायल में खेत खसरा नं.  
37/705 रकबा 0.8094 हैक्टेयर व खसरा नंबर 666 रकबा 1.4973 हैक्टेयर कुल 2 खसरे कुल  
रकबा 2.3067 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 छोटी देवी व प्रतिवादी संख्या 2 केलास उर्फ  
केलकी देवी के साथ संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

  
जिला अधिकारी  
(राजस्व) नागौर

बैंक के रहन के संबंध में, बैंक रिकार्ड में अद्यतन हेतु संबंधित बैंक को सूचित हो।  
आज दिनांक 26/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी  
सरे इजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -  
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत  
व मुहर अदालत के आज तारीख 26/12/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये  
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(ओमप्रकाश वर्मा)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
जायल (नागौर)